

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या. 200\*  
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर  
स्नातक चिकित्सकों के लिए डिप्लोमा कोर्स

**\*200. डॉ. राजीव भारद्वाज:**

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए ग्रामीण और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या स्नातक चिकित्सकों के लिए कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश भी एनईईटी परीक्षा के माध्यम से होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम केवल जिला अस्पतालों में कार्यरत स्नातक चिकित्सकों तक ही सीमित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री  
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर में उल्लिखित  
विवरण**

(क) से (ड): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के अंतर्गत, देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और आवासीय सुविधा दी जाती है, ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में कार्य करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेतिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत से तय वेतन की पेशकश करने की भी छूट है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में नम्यता भी शामिल है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन (एचआर) का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा अधिसूचित जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम (डीआरपी) पाठ्यक्रम में जिला अस्पतालों में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पीजी मेडिकल छात्रों के लिए अनिवार्य तीन महीने की पोस्टिंग सह-प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। डीआरपी ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करके आम जनता को लाभान्वित करता है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा एमबीबीएस पूरा कर चुके अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इन डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश नीट-पीजी परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इसने 2020 से 9 पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीट-पीजी के माध्यम से होता है। देश का कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र है, बशर्ते वह नीट-पीजी सूचना बुलेटिन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। डिप्लोमा पाठ्यक्रम केवल जिला अस्पतालों में कार्यरत स्नातक डॉक्टरों तक ही सीमित नहीं हैं।

\*\*\*\*